संख्या-30/2024/1696/एक-5-2023-51/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक मार्च, 2024**

विषय- जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में राजस्व विभाग के कर्मचारियों हेतु निर्माणाधीन टाइप-1 , टाइप-2, टाइप-3 एवं टाइप-4 के आवासों के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1714/12 भवन-20/87-92, दिनांक 20.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में राजस्व विभाग के कर्मचारियों हेतु निर्माणाधीन टाइप-1 , टाइप-2, टाइप-3 एवं टाइप-4 के आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1088.96 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा आंकलित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 435.58 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-1594/एक-5-2019-51/2019 दिनांक 11.02.2020 द्वारा, शासनादेश संख्या-45/2020/1030/एक-5-2020-51/2019 दिनांक 29.12.2020 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 653.38 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 163.34 लाख एवं शासनादेश संख्या-68/2020/263/एक-5-2021-51/2019 दिनांक 24.03.2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 272.24 लाख स्वीकृत की गई है। प्रश्नगत योजना की अनुमोदित धनराशि रू0 1088.96 लाख की अवशेष धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में रू0 217.80 लाख में से अनुमोदित लागत की 5 प्रतिशत की धनराशि रू0 54.45 लाख को घटाते हुए एवं उक्त धनराशि को रोकते हुए रू0 163.35 लाख शासनादेश संख्या-85/2021/495/एक-5-2021-51/2019 दिनांक 11.08.2021 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में स्वीकृत की गई है। इस प्रकार अब तक कुल रू0 1034.51 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा में राजस्व विभाग के कर्मचारियों हेतु निर्माणाधीन टाइप-1, टाइप-2, टाइप-3 एवं टाइप-4 के आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1368.39 लाख (रू0 तेरह करोड़ अड़सठ लाख उन्नतालीस हजार मात्र) जी0एस0टी0 सहित की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाय और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) वित्त विभाग के वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च,2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी0-1-60/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुन: कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(12) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यावस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत वर्क डन की लागत पर 12 प्रतिशत एवं वर्क टू बी डन की लागत पर 18 प्रतिशत की दर से प्रभाग द्वारा जी0 एस0 टी0 की धनराशि अनुमन्य की गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(15) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) प्रायोजनान्तर्गत कोई अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू 10.00 लाख की धनराशि ली गई है, जिसे प्रभाग द्वारा यथावत् अनुमन्य कर दिया गया है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-07 -प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-338/दस-2023-24, दिनांक 28 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-30/2024/1696(1)/एक-5-2023-51/2019 :: तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- जिलाधिकारी, श्रावस्ती ।
7- श्री राम केवल, विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एवं कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ/अधिशाषी अभियन्ता, नि0ख0- अयोध्या-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोण्डा ।
9- राजस्व अनुभाग-6 ।
10- गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।